

प्रेषक,

नागेन्द्र प्रसाद सिंह,

विशेष सचिव,

उ० प्र० शासन।

सेवामें,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक: 18 अप्रैल, 2018

विषय:—इन्दिरा आवास योजना एवं लोहिया आवास योजना में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष आवास निर्माण पूर्ण न होने की जांच एवं अपूर्णता के कारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-1305/38-4-17-75(विविध)/2017, दिनांक 09.10.2017, अनुस्मारक पत्र संख्या-1537/38-4-17-75(विविध)/2017, दिनांक 08.11.2017, एवं अनुस्मारक पत्र संख्या-भा0स0-368/38-4-17-75(विविध)/2017, दिनांक 12.12.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके द्वारा इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2012-13 से 2015-16 तक के अपूर्ण आवासों की सूचना एवं इन्दिरा/लोहिया आवास योजना के निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष निर्मित न हो पाने वाले आवासों की अपूर्णता के कारणों के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुवार आख्या शासन को उपलब्ध कराने के निदेश दिये गये थे—

1. भौतिक लक्ष्यों के सापेक्ष जनपदवार प्रगति।
2. निर्गत धनराशि का व्यय-विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र।
3. निर्गत की गयी धनराशि के सापेक्ष किये गये कार्यों की गुणवत्ता के सम्बन्ध में आख्या/रिपोर्ट।
4. अभी तक इन्दिरा आवास/लोहिया आवास पूर्ण न किये जाने का कारण।

2— अवगत कराना है कि इन्दिरा/लोहिया आवास योजनान्तर्गत आवासों हेतु शत प्रतिशत धनराशि निर्गत की जा चुकी है, किन्तु शासन के संज्ञान में आया है कि उक्त योजनान्तर्गत लक्ष्य के सापेक्ष आवासों का निर्माण नहीं हुआ है।

3— अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उक्त सन्दर्भित पत्रों द्वारा वांछित बिन्दुवार सूचना/आख्या एक माह में शासन को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(नागेन्द्र प्रसाद सिंह)

विशेष सचिव।

संख्या - 578 (1) / 38-4-2018, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को उपरोक्तानुसार कृपया आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ०प्र०, लखनऊ।
- 2- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,


(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)

अनु सचिव।
